"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2005—आषाढ़ 9, शक 1927

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक /1907/डी-15/239/2004-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 953/डी-15/239/2004-05/14-3, रायपुर दिनांक 22-3-2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

शब्दों "एक वर्ष तक के लिए" के स्थान पर शब्दों "एक वर्ष से अनधिक अवधि तक के लिए" स्थापित किया जाए.

Raipur, the 30th June 2005

NOTIFICATION

No./1907/D-15/239/2004-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57-A of Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby makes the following amendment, in the departmental notification No. 953/D-15/239/2004-05/14-3, Raipur, dated 22-3-2005, namely :—

In the said notification,—

for the words "up to further one year" the words "for the period not exceeding one year" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.